उच्च सदन में उपाध्यक्षों का पैनल

संदर्भ:

- हाल ही में राज्यसभा के वर्तमान सभापति ने उच्च सदन में लैंगिक समानता कायम रखते हुए राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में 50% महिला सदस्यों को नामांकित किया है।
- हाल ही में राज्यसभा के वर्तमान सभापति ने उच्च सदन में लैंगिक समानता कायम रखते हुए राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में 50% महिला सदस्यों को नामांकित किया है।

उपाध्यक्ष के कार्य

- राज्यसभा के सभापति परिषद के सदस्यों में से अधिकतम 6 उपाध्यक्षों का एक पैनल नामित कर सकते हैं।
- सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में कोई एक उपाध्यक्ष परिषद की अध्यक्षता कर सकता है।
- नामांकित उपाध्यक्ष नए पैनल के पुनः नामांकित होने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

पैनल में महिला नियुक्तियाँ:

- श्रीमती पी. टी. उषा
- श्रीमती एस फांगनोन कोन्याक
- डॉ. फौजिया खान
- श्रीमती सुलता देव

राज्य सभा सभापति

- **संवैधानिक स्थिति**: भारत के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति होते हैं (अनुच्छेद 64)।
- **भूमिका**: सभापति सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा करता है।
- **शक्तियां**:
  - ✓ कोरम पूरा न होने की स्थिति में सदन का स्थगन/निलंबन करना।
  - ✓ दल बदल के कारण सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय करना (10वीं अनुसूची)।
  - ✓ विशेषाधिकार हनन के प्रश्नों को मंजूरी देना।
  - ✓ विभिन्न समितियों में सदस्यों को नामांकित करना।
  - ✓ व्यवसाय सलाहकार, नियम और सामान्य प्रयोजन समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।
- **व्याख्या**: सदन के लिए संविधान और नियमों की सभापति की व्याख्या अंतिम और निर्विवाद है।
- **निष्कासन**: सभापति को उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के साथ ही हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 64)।

पशुधन क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना

सन्दर्भ:

- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन पशुपालन और डेयरी विभाग, एएचआईडीएफ के तहत क्रेडिट गारंटी योजना लागू करता है।
- एएचआईडीएफ के तहत लागू क्रेडिट गारंटी योजना वंचित पशुधन क्षेत्र के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करती है।
- यह पशुधन मामले में पहली पीढ़ी के उद्यमियों और बिना संपार्श्विक सुरक्षा के वंचित वर्गों को लक्षित करता है।

उद्देश्य:

- यह स्कीम ऋण सुविधा के लिए प्राथमिक सुरक्षा के रूप में परियोजना व्यवहार्यता पर जोर देता है।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज (15,000 करोड़ रुपये) के तहत क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना करना।
- इसका उद्देश्य पशुधन बुनियादी ढांचे और मूल्य संवर्धन में निवेश को प्रोत्साहित करना है।

कार्यकारी क्षेत्र:

- डेयरी प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन।
- मांस प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन।
- पशु चारा वाले पौधे।
- नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल गुणन फार्म।
- पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन (कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन)।
- पशु चिकित्सा वैक्सीन और औषधि निर्माण सुविधाएं स्थापित करना।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

- वर्तमान समय में AHIDF के लिए फंड का आकार रु. 15,000 करोड़ का है।
- इस फंड का लक्ष्य डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों में बुनियादी ढांचे के निवेश को प्रोत्साहित करना है।

पात्रता, वित्त पोषण और कार्यान्वयन:

- **पात्र संस्थाएँ**: किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), एमएसएमई, कम्पनी अधिनियम की धारा 8 में शामिल कंपनियां, निजी कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी ।
- **मार्जिन योगदान**: पात्र संस्थाओं को मार्जिन मनी के रूप में केवल 10% का योगदान करना होगा।
- **ऋण घटक**: शेष 90% धनराशि अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।
- **ब्याज अनुदान**: भारत सरकार (GOI) पात्र लाभार्थियों को 3% ब्याज छूट प्रदान करेगी।
- **अधिस्थगन अवधि**: ऋण पुनर्भुगतान के लिए 2 वर्ष की स्थगन अवधि होगी।
- **पुनर्भुगतान की अवधि**:अधिस्थगन अवधि के बाद, पुनर्भुगतान अवधि 6 साल तक बढ़ जाएगी।

क्रेडिट गारंटी फंड:

- इस संदर्भ में वर्तमान सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है।
- नाबार्ड द्वारा प्रबंधित, यह फंड एमएसएमई-परिभाषित सीमा के भीतर परियोजनाओं को क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगा।
- **गारंटी कवरेज**: गारंटी कवरेज उधारकर्ता की क्रेडिट सुविधा का 25% तक होगा।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीबी)

सन्दर्भ:

- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष ने पेंशन फंडों को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीबी) में निवेश करने में नियामक के रूप में अपनी भूमिका के लिए अपनी रुचि व्यक्त की है।

एसजीबी के बारे में

- सॉवरेन ग्रीन बांड संप्रभु संस्थाओं, अंतर-सरकारी समूहों, गठबंधनों और कॉरपोरेट्स द्वारा जारी किए जाते हैं।
- **उद्देश्य**: इन बांडों से प्राप्त धनराशि पर्यावरण की दृष्टि से सतत एवं दीर्घकालिक परियोजनाओं का समर्थन करती है।
- नियमित बांड की तुलना में इसकी परिपक्वता अवधि लंबी होती है।

- भारत ने 9 नवंबर, 2022 को सॉवरेन ग्रीन बांड के लिए अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की है।
- वर्ष 2016 में एप्पल ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली पहली तकनीकी कंपनी थी और पोलैंड इसे जारी करने वाला पहला देश था।
- वर्तमान में यूरोपीय निवेश बैंक दुनिया में ग्रीन बांड का अग्रणी जारीकर्ता है।

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

- पीएफआरडीए अधिनियम 2014 के तहत स्थापित वैधानिक नियामक निकाय।
- **उद्देश्य**: पेंशन फंड के माध्यम से वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना।
- **संघटन**: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और अधिकतम छह सदस्य (न्यूनतम तीन पूर्णकालिक सदस्य)।
- **नोडल मंत्रालय**: वित्त मंत्रालय।
- **मुख्यालय**: नई दिल्ली।
- **कार्य**:
  - ✓ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और अन्य लागू पेंशन योजनाओं को विनियमित करता है।
  - ✓ पेंशन निधि की स्थापना और विकास करता है।
  - ✓ पेंशन फंड ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है।
  - ✓ मध्यस्थों को पंजीकृत और नियंत्रित करता है।
  - ✓ पेंशन फंड कॉर्पस प्रबंधन के लिए मानदंड निर्धारित करता है।
  - ✓ ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करता है।
  - ✓ मध्यस्थों के बीच और मध्यस्थों और ग्राहकों के बीच विवादों का समाधान करता है।

खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों पर आयोग (सीजीआरएफए)

सन्दर्भ:

- हाल ही में इटली के रोम में संपन्न, खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों पर आयोग (सीजीआरएफए) के 19वें सत्र के लिए दुनिया भर से प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

सीजीआरएफए के बारे में:

- खाद्य और कृषि में जैव विविधता के सभी घटकों के लिए एकमात्र स्थायी अंतर सरकारी निकाय।
- 1983 में स्थापित।
- **उद्देश्य**: आनुवंशिक संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण और लाभों के उचित बंटवारे पर अंतरराष्ट्रीय सहमति प्राप्त करना।
- **सदस्यता**: 179 देश।
- भारत भी इस आयोग का सदस्य है।

कार्य:

- यह खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों और जैव विविधता पर वैश्विक मूल्यांकन की तैयारी का मार्गदर्शन करता है।
- सीजीआरएफए तत्संबंधी कार्य की वैश्विक योजनाएँ, आचार संहिता और नीति उपकरण विकसित करता है।
- यह इन योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है।
- **ऐतिहासिक उपलब्धि**: खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) की स्थापना।

खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए)।

- खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) को 3 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की **खाद्य और कृषि संगठन के** इकतीसवें सत्र के दौरान अपनाया गया था।

संधि के उद्देश्य

- वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिए फसल विविधता में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना।
- किसानों, पादप प्रजनकों और वैज्ञानिकों के लिए पादप आनुवंशिक सामग्री तक पहुंच के लिए एक वैश्विक प्रणाली की स्थापना करना।
- यह सुनिश्चित करना कि आनुवंशिक सामग्री प्राप्तकर्ता इनके उपयोग के लिए मूल देशों के साथ लाभ साझा करें।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023

सन्दर्भ:

- नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में, भारत का पासपोर्ट पिछले वर्ष से पांच पायदान ऊपर चढ़कर 80वें स्थान पर पहुंच गया है।
- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स गंतव्यों तक वीज़ा-मुक्त पहुंच के आधार पर पासपोर्टों को रैंक करता है।
- आईएटीए के सहयोग से वैश्विक नागरिकता सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित।
- इसमें 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य शामिल हैं।
- डेटा IATA से प्राप्त किया गया और हेनले एंड पार्टनर्स की अनुसंधान टीम द्वारा इसे और बढ़ाया गया।

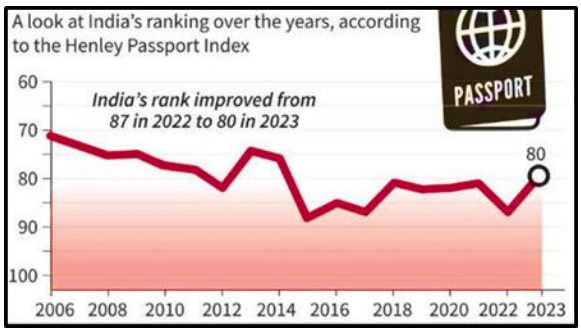

सूचकांक 2023 की मुख्य बातें

- सिंगापुर 192 गंतव्यों तक वीज़ा-मुक्त पहुंच के साथ शीर्ष स्थान पर है।
- जर्मनी, इटली और स्पेन 190 गंतव्यों तक पहुंच के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
- जापान, ऑस्ट्रिया, फ़िनलैंड, फ़्रांस, लक्ज़मबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन तीसरे स्थान पर हैं।
- सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के पासपोर्ट सबसे कमजोर हैं, जो क्रमशः 101वें, 102वें और 103वें स्थान पर हैं।
- पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तान 100वें स्थान पर है।

भारत की रैंक

- भारत पिछले वर्ष के 87वें स्थान से सात पायदान ऊपर चढ़कर 80वें स्थान पर पहुंच गया।
- यह सेनेगल और टोगो के साथ यह स्थिति साझा करता है।
- पासपोर्ट धारकों को 57 गंतव्यों तक वीज़ा-मुक्त पहुंच की सुविधा मिलती है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या	**संदर्भ:** हाल ही में, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (Unique Land Parcel Identification Number- ULPIN) लागू करने के महत्व पर जोर दिया। **विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या:** ➢ ULPIN (भू-आधार) प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए 14 अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक यूनिक आईडी है।

- यह 2008 से डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) का हिस्सा है।
- देशांतर और अक्षांश निर्देशांक के आधार पर ECCMA मानकों का उपयोग करके यूएलपीआईएन तैयार किया गया है।
- DILRMP का लक्ष्य एक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (ILIMS) विकसित करना है।
- इसमें भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, सर्वेक्षण गतिविधियाँ और पंजीकरण प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण शामिल है।

ULPIN के लाभ:

- भूमि लेनदेन में भ्रष्टाचार पर रोक लगती है और पारदर्शिता बढ़ती है।
- सुव्यवस्थित कानूनी प्रक्रियाओं के लिए ई-कोर्ट को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ता है।
- आपदा पुनर्प्राप्ति के लिए अविनाशी दस्तावेज़ीकरण प्रदान करता है।
- सूचित निर्णय लेने और संसाधन प्रबंधन का समर्थन करता है।

विकास और कल्याण पर प्रभाव:

- सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाकर विकास उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- पीएम आवास योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है।
- लाभार्थी लक्ष्यीकरण और लाभ एवं सेवाओं की लक्षित डिलीवरी में मदद करता है।

पश्मीना शॉल

पश्मीना शॉल: पश्मीना शॉल हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली पश्मीना बकरी के महीन ऊन से बनी एक शानदार, मुलायम और गर्म शॉल है। यह अपनी सुंदरता और उच्च गुणवत्ता वाली शिल्प कौशल के लिए बेशकीमती है।
उत्पत्ति: 'पश्मीना' शब्द फ़ारसी शब्द "पशम" से आया है, जिसका अर्थ है बुनाई योग्य ऊनी रेशा। पश्मीना कश्मीर, भारत से एक भौगोलिक संकेत (जीआई) प्रमाणित ऊन है।
उपयोग: कश्मीरी लोग सर्दियों में पश्मीना शॉल का उपयोग करते थे।
लागत और समय: अच्छी गुणवत्ता और श्रम-गहन उत्पादन के कारण पश्मीना शॉल महंगी हैं, एक शॉल को बुनने में लगभग 72 घंटे लगते हैं।
स्रोत: पश्मीना लद्दाख में चांगथांगी बकरियों से प्राप्त किया जाता है।
बुनाई प्रक्रिया: कच्चे पश्म को कश्मीरी बुनकरों द्वारा साफ किया जाता है, हाथ से काता जाता है और शानदार शॉल में बुना जाता है।

कुकी ज़ो जनजाति

संदर्भ: हाल ही में, मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में, हजारों कुकी-ज़ो लोगों ने राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष के कारण एक अलग प्रशासन की मांग करते हुए एक रैली का आयोजन किया।
कुकी ज़ो जनजाति:
कुकी ज़ो जनजाति एक स्वदेशी जातीय समूह है जो पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार (बर्मा) और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इन्हें कुकी या चिन-कुकी-मिज़ो-ज़ोमी के नाम से भी जाना जाता है।
क्षेत्रीय वितरण: वे मुख्य रूप से मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड राज्यों के साथ-साथ म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
भाषा: कुकी-ज़ो लोग तिब्बती-बर्मन भाषाएँ बोलते हैं, जो चीन-तिब्बती भाषा परिवार का हिस्सा हैं।
आजीविका और अर्थव्यवस्था: परंपरागत रूप से, कुकी-ज़ो लोग मुख्य रूप से कृषि प्रधान थे, जो चावल, बाजरा और मक्का जैसी फसलें उगाते थे। वे बुनाई, मिट्टी के बर्तन आदि जैसी गतिविधियों में भी संलग्न हैं।
भूमि अधिकार और सशक्तिकरण: भूमि अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक विकास और पारंपरिक ज्ञान एवं प्रथाओं की सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
ऐतिहासिक महत्व: कुकी विद्रोह, जिसे कुकी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सशस्त्र आंदोलन था।

राष्ट्रीय महिला आयोग

National Commission for Women, India
राष्ट्रीय महिला आयोग

संदर्भ: हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने मणिपुर की एक घटना की निंदा की है।
राष्ट्रीय महिला आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत की गई थी।
अधिदेश: इसका प्राथमिक अधिदेश महिलाओं के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है, इसका लक्ष्य लैंगिक समानता और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना है।
कार्य: NCW महिला अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है, महिला सशक्तिकरण के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा और बदलाव की सिफारिश करता है, और महिलाओं के मुद्दों पर अनुसंधान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।
संरचना: NCW में एक अध्यक्ष और सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं।
स्वायत्तता: NCW एक स्वायत्त निकाय है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन नहीं है।
सीमाएँ: इसमें प्रत्यक्ष कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति का अभाव है और इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।
सहायता सेवाएँ: NCW अधिकारों के उल्लंघन का सामना करने वाली महिलाओं को कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करता है।

पिकोलिनिक एसिड

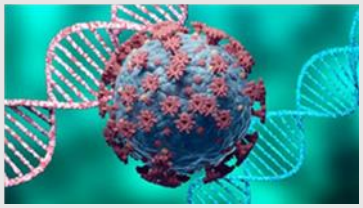

संदर्भ: भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के एक हालिया अध्ययन से SARS-CoV-2 और इन्फ्लूएंजा ए सहित वायरस को रोकने की पिकोलिनिक एसिड की क्षमता का पता चलता है।

पिकोलिनिक एसिड क्या है?

पिकोलिनिक एसिड एक पाइरिडाइनमोनोकारबॉक्सिलिक एसिड है जिसमें कार्बोक्सी समूह स्थिति 2 पर स्थित है। यह ट्रिप्टोफैन के चयापचय में एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है और MALDI मैट्रिक्स सामग्री और मानव मेटाबोलाइट के रूप में कार्य करता है। पिकोलिनिक एसिड ने एंटीवायरल गुण दिखाए हैं, जिसमें SARS-CoV-2 और इन्फ्लूएंजा ए जैसे वायरस को रोकने की क्षमता भी शामिल है। जो इसे वायरल अनुसंधान और उपचार में संभावित रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

एंटीवायरल खोजें:

- मेजबान कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को बाधित करता है, संक्रमण को रोकता है।
- आंत से जिंक और सूक्ष्म तत्वों के अवशोषण को सुगम बनाता है।
- जानवरों को संक्रमण से बचाता है और फेफड़ों में वायरल लोड को कम करता है।

पशुओं में प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है।

समाचार में स्थान

टांगा बंदरगाह

संदर्भ: हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) ने संभावित पर्यावरणीय प्रभावों और वैश्विक जलवायु संकट के कारण, विशेष रूप से टांगा बंदरगाह पर, पूर्वी अफ्रीका तेल पाइपलाइन के बारे में चिंता जताई।

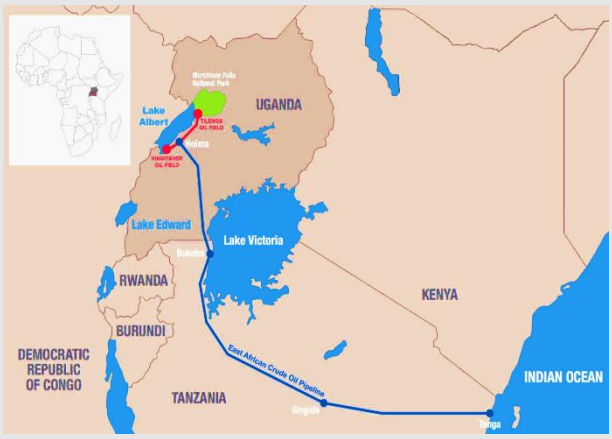

भौगोलिक स्थिति: टांगा बंदरगाह हिंद महासागर के किनारे, पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के तटीय शहर टांगा में स्थित है।

सामरिक महत्व: यह हिंद महासागर पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में कार्य करता है, क्षेत्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाता है और भूमि से घिरे पूर्वी अफ्रीकी देशों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ता है।

कार्गो हैंडलिंग: बंदरगाह कृषि उत्पादों, खनिजों और औद्योगिक सामानों सहित विविध कार्गो को संभालता है।

ट्रांसपोर्ट हब: यह वैश्विक व्यापार मार्गों तक पहुंच प्रदान करके क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बुनियादी ढाँचा विकास: यहाँ चल रहे विकास का उद्देश्य बंदरगाह की क्षमता और दक्षता को बढ़ाना है।

पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: रिपोर्टों ने पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ा दिया है, विशेष रूप से बंदरगाह की गतिविधियों से जुड़ी एक तेल पाइपलाइन परियोजना के संबंध में।